



पं०ल०मो०शर्मा रा०स्ना० महाविद्यालय ऋषिकेश—(देहरादून)

परिसर

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल)

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र०सं०	विवरण	तिथियाँ	
		स्नातक (UG)	स्नातकोत्तर (PG)
1	ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रारम्भ की तिथि	10.08.2021	स्नातक अंतिम सेम० /वर्ष परिणाम के बाद
2	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	25.08.2021	—
3	प्रथम वरीयता सूची जारी होने की तिथि	28.08.2021	—
4	काउंसिलिंग प्रारंभ की तिथि	30.08.2021	—
5	समस्त कक्षाओं के प्रारम्भ की तिथि	01.10.2021	—

नोट :-

- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर योग्यता क्रम से ही देय होंगे।
- प्रवेश / परीक्षा से सम्बन्धित विविध सूचनाएँ सूचना पट एवं कॉलेज बेवसाइट पर दी जाती हैं, अतः सभी प्रवेशार्थीयों से अपेक्षा की जाती है वे सूचना पट एवं बेवसाइट के सम्पर्क में रहें।
- प्रदर्शित सूची के प्रवेशार्थी द्वारा अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं योग्यता क्रम से अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

आवश्यक सूचना

- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। रैगिंग में लिप्त पाए गये विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित किया जायेगा।
- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू पान, गुटका पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। लिप्त पाए गये विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित किया जाएगा।
- कोविड महामारी के कारण यू०जी०सी०, गृहमंत्रालय— भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशानुसार इस सत्र की प्रवेश नियमावली में अपेक्षित संशोधन किये जा सकते हैं।

प्राचार्य



पंलमोशर्मा रासना महाविद्यालय ऋषिकेश—(देहरादून)

परिसर

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल)

महाविद्यालय का इतिहास एवं परिचय

रैम्य ऋषि की तपःस्थली एवं प्राचीनकाल से हृषीकेश और कुञ्जाम्रक तीर्थ के नाम से विख्यात पुण्यभूमि ऋषिकेश में पर्वतीय क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय की स्थापना के निमित्त पं. ललित मोहन शर्मा ट्रस्ट, ऋषिकेश द्वारा 49.02 एकड़ भूमि उ0प्र0 शासन को दान स्वरूप प्रदान की गयी। जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा वर्ष 1973 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित, कुल पाँच विषयों, 5 प्राध्यापकों एवं 38 छात्रों से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। वर्ष 1975–76 में स्नातक, स्तर पर कला, एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। वर्ष 1977–78 में स्नातकोत्तर स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं।

1987–88 में महाविद्यालय का स्थायी भवन निर्मित हुआ। इस भवन में इस समय कला संकाय एवं योगा की कक्षाएं संचालित होती हैं। पुराने अस्थाई भवन तथा नवनिर्मित (विज्ञान भवन) में विज्ञान संकाय की कक्षायें संचालित होती हैं। वर्तमान में प्रशासनिक भवन एवं वाणिज्य संकाय अपने नवनिर्मित भवनों में संचालित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड शासन ने इस महाविद्यालय में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्वीकृत किये हैं यथा—पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस, पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स, पी0जी0 डिप्लोमा इन इको-टूरिज्म, बी0एस0—सी0 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी तथा एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बी0एस0सी0 मेडिकल लैब टेक्नालॉजी, पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस तथा एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में अध्ययन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अधिकतर विभाग, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा अनुभाग एवं विज्ञान कक्षाएं कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं।

महाविद्यालय का अपना खेल का मैदान है तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आधुनिक व्यायामशाला (जिम) की सुविधा उपलब्ध है। जिससे छात्र/छात्राएँ लाभान्वित होते हैं। महाविद्यालय में 126 की क्षमता वाला पुरुष छात्रावास भी है।

महाविद्यालय की उत्तम शैक्षिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड शासन ने इस महाविद्यालय को वर्ष 2002–2003 में उत्कृष्ट महाविद्यालय अभियन्हित किया। इस महाविद्यालय को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा ‘A’ ग्रेड प्रदान किया गया तथा वर्ष 2006 में यू.जी.सी. द्वारा उत्कृष्टता हेतु क्षमता सम्पन्न महाविद्यालय (College with Potential for

Excellence) चयनित किया गया। उक्त उपलब्धियों के आलोक में यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा नवम्बर 2008 में इस महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय (Autonomous College) के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। 2013 में (NAAC) द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया गया, जिसमें महाविद्यालय को 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ।

महाविद्यालय का वर्तमान स्वरूप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. F 22-1/2008(AC) नवम्बर 2008 तथा एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 928-929 XXIV(7)/9(6)08/2010 दि 0 25 मई 2010 के द्वारा इस महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का स्वरूप सत्र 2010 से स्वीकृत एवं लागू किया गया था। वर्ष 2019 में महाविद्यालय के स्वायत्तशासी स्वरूप के स्थान पर राजझा संख्या 730/XXIV(6)/2019-01(13)/2014 दिनांक 06 अगस्त 2019 के द्वारा इस महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल का परिसर बनाया गया। परिसर में संचालित कक्षाओं पर श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली लागू होगी।

1. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश –

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार के समय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम एवं हाईस्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र में अंकित नाम समान है।
2. नये प्रवेशार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी द्वारा समस्त संलग्नक स्व-प्रमाणित होने चाहिए।
 - (क) समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (ग) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की प्रमाणित प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।
 - (घ) अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।
 - (च) व्यक्तिगत अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना आवश्यक होगा)
 - (छ) खेल प्रमाण पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (ज) अन्य विश्वविद्यालय (श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर) की किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस महाविद्यालय में एम.ए./एम.एस.-सी./एम.काम, प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवर्जन प्रमाण पत्र

(Migration Certificate) की प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना छात्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

- (झ) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने नाम का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिव्यांग हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तराखण्ड) का प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो। अर्थात् 01 जुलाई 2018 से पहले का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को यह शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।
- (ज) एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा।
- (य) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की मूल प्रति काउन्सलिंग के समय प्रवेश समिति के समुख प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
3. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल पिछले सेमेस्टर के अंक पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।
 4. प्रवेशार्थी द्वारा बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.—सी. प्रथम सेमेस्टर एवं एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय/विषय हेतु अलग—अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक संकाय से दूसरे संकाय में आवेदन पत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं होगा।
 5. अपूर्ण ऑनलाइन फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
 6. ऑनलाइन की अन्तिम तिथि के पश्चात् (अविचारित) आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
 7. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए महाविद्यालय का सूचना पट्ट/बेबसाइट देखते रहें।
 8. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के निमित्त गठित समितियां निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त सभी ऑनलाइन फार्म पर विचार करेंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की वरीयता सूची में नाम होने पर अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थिति होना होगा अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार सम्भव नहीं होगा। प्रवेश समितियां प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करेंगी और उपलब्ध स्थानों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेशार्थियों के नामों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। प्राचार्य की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य होगा। प्राचार्य द्वारा प्रवेश अनुमन्य होने के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश के पश्चात्

भी अनियमितता व अनुशासनहीनता पाये जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।

9. कोई भी विद्यार्थी एक सत्र में दो डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का न तो अध्ययन करेंगे और न ही इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे।

2. प्रवेश नियम (निम्नलिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश पर लागू होंगे) –

1. केवल उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश पाने के लिए अहं नहीं होंगे। विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राएं अथवा ड्राप आउट छात्र/छात्राएं भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप आउट से तात्पर्य है कि छात्र/छात्राओं द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात् पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
2. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य किसी वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश लिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. (क) बी.एस.-सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट (विज्ञान) परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
(ख) बी.ए./बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
नोट— अभ्यर्थी ने इण्टर परीक्षा जितने विषयों से उत्तीर्ण की है उसके अंकों का प्रतिशत उत्तने विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर लिया जायेगा।
(ग) 39.99 को 40 प्रतिशत तथा 44.99 को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश आर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
(ङ) युद्ध में शहीदों के आश्रितों (पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन) को न्यूनतम योग्यता धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(च) कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ-साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
(छ) यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

(ज) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडियट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इण्टरमीडियट में पाँच विषयों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस विद्यालय/अध्ययन केन्द्र से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

4. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. प्राचार्य को बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
6. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष कुल 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा रहेगी। इससे अधिक तक संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
7. छात्र/छात्राओं द्वारा किसी कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है, तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु छात्र/छात्रा द्वारा इस समय अन्तराल का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत) जमा करना होगा। (योग विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तीन वर्ष का समय अन्तराल अनुमान्य होगा)।
8. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश, स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठता क्रम पर दिया जाएगा।
9. कानून द्वारा दण्डित छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
10. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जांच के उपरान्त उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र/कागजात अथवा शपथ पत्र जाली पाये जाते हैं तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. प्रवेश के उपरान्त निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म भरकर शुल्क रसीद की छाया प्रति के साथ प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा।
12. एक बार प्रवेश मिलने के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं होगां।
13. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी प्रकार अस्थायी एडमिशन नहीं दिया जायेगा।

15. अनुसूचित जाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1144/क्रामिक-2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019-01(3)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमत्य होगी जोकि निम्नवत् है।

अनुसूचित जाति-19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति-04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग-14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण देय होगा—

महिला— 30 प्रतिशत

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित-05 प्रतिशत

दिव्यांग — 04 प्रतिशत

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित — 02 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त अलग से 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित होंगी।

(अनुसूचित जाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से अच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/सम्बंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग उत्तराखण्ड प्रवेशार्थी को 1 जुलाई 2018 के बाद का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह आवेदित तिथि की क्रीमीलेयर में नहीं आते।)

- (i) उक्त आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।
- (ii) उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो।
- (iii) उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की

गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

16. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवम् विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं होंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू.जी.सी. की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बंधित पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करवानी होगी।
17. अगली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें वापस करनी होगी।
18. सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रत्येक संस्थागत छात्र का 75 प्रतिशत उपस्थिति (सैद्धान्तिक एंव प्रायोगिक में अलग—अलग) होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। इस हेतु प्रवेशार्थी एवं उनके संरक्षक को संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षरित कर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
19. सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
20. स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र की प्रमाणित प्रति संबंधित विभाग में जमा करें।
21. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 के छात्र/छात्राएँ प्रथम सेमेस्टर में तथा बी0कॉम0 एवं बी0एस0सी0 के छात्र/छात्राएँ द्वितीय सेमेस्टर में अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
22. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्तामण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें संस्थानों में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष के लिए विषय सम्बन्धी निर्देश –

कला संकाय – बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय में से कोई 3 विषय का चयन कर सकता है— (1) हिन्दी, (2) संस्कृत, (3) अंग्रेजी, (4) राजनीति विज्ञान, (5) अर्थशास्त्र, (6) इतिहास, (7) समाजशास्त्र, (8) भूगोल (प्रायोगिक), (9) गृह विज्ञान (प्रायोगिक), (10) शिक्षाशास्त्र (प्रायोगिक), (11) संगीत (प्रायोगिक), (12) गणित।

कुल स्वीकृत सीट –

संस्कृत—66, भूगोल—110, शिक्षाशास्त्र—55, संगीत—22, गृहविज्ञान—66, गणित—27, अर्थशास्त्र—132, अंग्रेजी—132, हिन्दी—132, राजनीति विज्ञान—132, इतिहास—132, समाजशास्त्र—132 सीटें निर्धारित हैं।

उपरोक्त विषयवार सीटों के अतिरिक्त प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीटों के 10% के बराबर अतिरिक्त सीटें EWS प्रवेशार्थियों के लिए अलग से आरक्षित हैं।

उपरोक्त विषय चयन में योग्यता सूची एवं प्रत्येक विषय में स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

- नोट** (1) भूगोल विषय उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा भूगोल के साथ या विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है।
(2) बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित विषय चयन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की है।
(3) अंग्रेजी व संस्कृत एक साथ देय नहीं होंगे।
(4) हिन्दी एवं गृहविज्ञान के साथ गणित देय नहीं होगा।
(5) तीन विषयों में अधिकतम दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकते हैं।
(6) भूगोल के साथ इतिहास देय नहीं होगा।
(7) अर्थशास्त्र, भूगोल के साथ संगीत विषय नहीं दिया जायेगा।
(8) यदि इण्टरमीडियट (10+2) में संगीत विषय न रहा हो किन्तु अभ्यर्थी प्रतिभावान हो तो उसकी प्रतिभा की परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत किया जा सकता है।

विज्ञान संकाय – बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषय—संयोजन स्वीकृत है विषय संयोजन में उन्हीं विषयों का चयन किया जाए जिनमें वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। (भू-विज्ञान को छोड़कर)

- (क) भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित स्वीकृत सीट—132
(ख) प्राणी-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान स्वीकृत सीट—132
(ग) भौतिक, गणित एवं भू-विज्ञान स्वीकृत सीट—44
(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं भू-विज्ञान स्वीकृत सीट—44

उपरोक्त विषय संयोजन में स्वीकृत कुल सीटों के 10% के बराबर अतिरिक्त सीटे EWS के प्रवेशार्थियों के लिए अलग से आरक्षित हैं।

उक्त किसी भी विषय संयोजन में रसायन विज्ञान, सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही देय होगा।

वाणिज्य संकाय –बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।

स्वीकृत सीट—264

वाणिज्य संकाय में उपरोक्त स्वीकृत कुल सीटों के 10% के बराबर अतिरिक्त सीटे EWS के प्रवेशार्थियों के लिए अलग से आरक्षित हैं।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता क्रम निर्धारण –

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों (Excluding qualifying subject) के प्राप्ताकों के आधार पर प्राप्त प्रतिशत को सूचकांक का आधार माना जाएगा। सूचकांक में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
2. (क) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
(ख) एन०सी०सी० 'बी' प्रमाण—पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।
(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।
(घ) स्काउट में पद सोपान—1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान—3 धारक को 2 अंक अतिरिक्त देय होंगे। निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार धारक को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार धारक को 3 अंक देय होंगे। (अधिकतम 5 अंक देय होंगे)
(ङ) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्ध सैनिक बलों के आश्रितों (पति—पत्नी, पुत्र—पुत्री, पौत्र—पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

नोट— क्रमांक 2 में क से ड तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में अधिकतम देय वरीयता अंक 15 होंगे। उपरोक्त लाभ किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता निर्धारण के साथ में नहीं जोड़ा जायेगा।

परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम तथा योग्यता क्रम निर्धारण –

- क) एम०एस–सी० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा य०जी०सी० मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित बी०एस–सी० परीक्षा उत्तीर्ण है।
- ख) एम० ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा य०जी०सी० मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित बी०ए० परीक्षा उत्तीर्ण है। बी०एस–सी० एवं बी०–कॉम में उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें किसी भी विषय में एम०ए० प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।
- ग) एम०कॉम० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा य०जी०सी० मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी०कॉम० परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अन्य संकाय की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
- घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी।
- ड) एम.एस–सी./एम०कॉम/एम०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक के समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियां एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां सूचकांक निर्धारण करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को भलीभांति आवेदन पत्र को भर कर संबन्धित विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- च) सम्पूर्ण स्थान योग्यता क्रम से भरे जायेंगे तो निम्नाकिंत 'सूचकांक गणना' के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

सूचकांक सूत्र ($x/X+y/Y$) × 100

यहाँ x = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग

यहाँ X = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के पूर्णांकों का योग

y = स्नातक के तीनों वर्षों के प्राप्तांकों का योग

Y = स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग

अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक में जोड़ दिया जायेगा।

- (i) आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पाँच अंक एवम् श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक को तीन अंक देय होंगे।
- (ii) अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक की पाँच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होंगे विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होंगे।
- (iii) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण—पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।
- (iv) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होंगे।
- (v) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्ध सैनिक बलों के आश्रितों (पति—पत्नी, पुत्र—पुत्री, पौत्र—पौत्री) को 2 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।
- (vi) श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति / पत्नी, पुत्र—पुत्री) एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों (पति—पत्नी, पुत्र—पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता—पिता / पति—पत्नी कार्यरत होंगे पाँच अंक देय होंगे।

नोट— उपरोक्त अतिरिक्त वरीयता अंकों में से अधिकतम 15 अंक ही देय होंगे।

स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हैं—

कला संकाय— हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। (प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीट—66) भूगोल विषय में स्वीकृत सीट 33।

विज्ञान संकाय— रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान। (प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीट—17) गणित विषय में स्वीकृत सीट 66।

वाणिज्य संकाय— एम0कॉम0 – 88 सीट

नोट – इसके अतिरिक्त उपरोक्त कला संकाय, विज्ञान संकाय में विषयवार एवं एम०कॉम० स्वीकृत कुल सीटों के 10% के बराबर सीटे EWS के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आरक्षित होगी। स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को किसी भी दशा में अन्य स्नातकोत्तर विषय में पुनः प्रवेश अनुमत्य नहीं होगा।

महाविद्यालय में निम्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम (स्व-वित्त पोषित) उपलब्ध हैं –

(1) बी०एस०–सी० मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी	30 सीट
(2) पी०जी० डिप्लोमा इन यौगिक साइंस	44 सीट
(3) एम०ए० इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज	22 सीट
(4) पी०जी० डिप्लोमा इन एडवटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	40 सीट
(5) पी०जी० डिप्लोमा इन इको-टूरिज्म	30 सीट

नोट –

1. सभी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. बी०एस०–सी० मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी को छोड़कर अन्य स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम में आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।
3. किसी भी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी किसी भी दशा में महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में मतदाता, प्रत्याशी तथा चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
4. स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कम से कम 15–15 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही इन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रवेश सम्भव होगा।

प्रवेश आवेदन के साथ दस्तावेज निम्न क्रम में लगायें—

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट
2. हाईस्कूल अंक तालिका (फोटो प्रति)
3. हाईस्कूल प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
4. इण्टर अंक तालिका (फोटो प्रति)
5. इण्टर प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
7. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
8. रेगिंग एवं उपस्थिति हेतु शपथ—पत्र

9. आरक्षण / खेलकूद / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / अन्य प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की फोटोप्रति

4. शुल्क विवरण –

प्रवेशार्थियों को सत्र के दौरान शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय को देय होंगे। राज्य सरकार द्वारा शुल्क में बढ़ोत्तरी करने पर तदनुसार शुल्क देय होगा। वर्तमान में शुल्क विवरण (रूपयों में) निम्नवत् है—

(अ)	कोषागार	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00
2.	शिक्षण शुल्क	00.00	180.00
3.	मंहगाई शुल्क	240.00	240.00
4.	विकास शुल्क	20.00	20.00
5.	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
6.	पंखा शुल्क	5.00	5.00
7.	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00
(ब)	छात्र निधि		
1.	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00
2.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
3.	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00
4.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
5.	छात्र-संघ शुल्क	50.00	50.00
6.	विभागीय परिषद	50.00	50.00
7.	छात्र सहायता कोष	10.00	10.00
8.	विद्यूत / जल शुल्क	60.00	60.00
9.	रोवर / रेन्जर्स शुल्क	60.00	60.00
10.	परीक्षा शुल्क		
	श्रीदेव सुमन विदेव का परीक्षा शुल्क	900.00	/ सेमेट्री 1100.00 / प्रति सेमेट्री
11.	उपाधि शुल्क		
	(अ) स्वायत्तशासी महाविद्यालय के छात्रों हेतु	200.00	200.00
	(ब) श्रीदेव सुमन विदेव के छात्रों हेतु	400.00	400.00
12.	इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00
13.	काशनमनी	(कोई शुल्क नहीं)	

14. स्वच्छता / परिसर सौन्दर्यीकरण / प्रांगण विकास शुल्क	60.00	60.00
15. सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि	10.00	10.00
16. अनुरक्षण	20.00	20.00
17. रसायन शुल्क	100.00	100.00
(केवल रसायन विज्ञान के छात्रों से)		
18. जनरेटर शुल्क	50.00	50.00
19. सांस्कृतिक परिषद	50.00	50.00
20. कैरियर काउन्सिलिंग	30.00	30.00
21. पार्किंग शुल्क	30.00	30.00
22. विविध शुल्क (मरम्मत, फर्नीचर इत्यादि)	100.00	100.00
23. प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
24. प्रयोगात्मक रखरखाव	60.00	60.00
25. महाविद्यालय दिवस	20.00	20.00
26. पी0टी0ए0	30.00	30.00
27. पी0एच0डी0 अध्ययन शुल्क— 1200 /प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 वर्षो हेतु इसके साथ, प्रयोगात्मक शुल्क 150 /—प्रतिमाह, स्वच्छता / परिसर सौन्दर्यीकरण, पुस्तकालय संवर्द्धन एवं अनुरक्षण शुल्क, इंटरनेट, पुस्तकालय, वाचनालय, परिचय पत्र, पत्रिका, विद्युत शुल्क, न्यूनतम 2 वर्षो हेतु देना होगा। शुल्कों का विवरण तथा जमा करने की तिथियां समय—समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जायेंगी। शासन /निदेशालय से निर्देश प्राप्त होने पर शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश ही मान्य होंगे।		

*शिक्षण, मंहगाई व प्रयोगशाला शुल्क वार्षिक जमा किया जाएगा।

नोट :-

1. कोई भी विद्यार्थी यदि नियत अवधि के अन्दर शुल्क जमा नहीं करता है अथवा 15 दिन से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है और अपने अनुपस्थित रहने का सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाता है तो उसका नाम महाविद्यालय पंजिका से काट दिया जायेगा।
2. चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र, कार्यालय को इस आशय हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र (अदेय प्रमाण—पत्रों सहित) की प्राप्ति तिथि से दो दिनों के बाद ही निर्गत किये जा सकेंगे।
3. स्नातक स्तर पर शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
4. सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जा सकेगा।

5. यदि किसी परीक्षार्थी के सेमेस्टर अंक पत्र में नाम/पिता का नाम आदि की कोई त्रुटि हो तो परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर अंक में सुधार हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा अंक पत्र सुधार हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
 6. स्वायत्तशासी महाविद्यालय के छात्रों के लिए प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) शुल्क ₹0 150.00 है।
 7. स्वायत्तशासी महाविद्यालय के छात्रों अंक पत्र खो जाने पर द्वितीय प्रति निर्गत शुल्क 250 ₹0 है इसके साथ शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा तथा समाचार पत्र में खोने की सूचना प्रकाशित करवानी होगी।
- 5. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता –**
- 4.1 स्वायत्तशासी स्वरूप के अन्तर्गत परीक्षार्थियों के लिए लिखित एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दोनों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
 - 4.2 समस्त विषयों के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित वाले विद्यार्थियों को सत्रांत की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी।
 - 4.3 विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति के न्यूनतम प्रतिशत में छूट देने का अधिकार प्राचार्य में निहित है। परन्तु किसी भी स्थिति में यह छूट 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - 4.4 विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत छूट प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रकरण के गुण-दोष पर विचार करने के उपरान्त प्राचार्य द्वारा निर्णय दिया जायेगा। उनका यह निर्णय अन्तिम रहेगा—
 1. यदि विद्यार्थी एन.सी.सी. कैडेट के रूप में, वार्षिक एन.सी.सी. शिविर में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है।
 2. यदि विद्यार्थी को सिविल डिफैन्स ड्यूटी हेतु भेजा जाता है।
 3. यदि विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा Rovers-Rangers की महाविद्यालय इकाई में नामांकित है तथा प्राचार्य की अनुमति लेकर विशेष शिविरों अथवा विभिन्न सामाजिक कार्यों में जाता है।
 4. यदि विद्यार्थी अन्तर्महाविद्यालयी क्रीड़ा, वाद-विवाद, सेमिनार, सिम्पोजिया, सामाजिक कार्य परियोजना (Social Work Project) में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता हो।
 5. यदि छात्र-छात्रा अस्वस्थता के कारण कक्षाओं में उपस्थित न हो सका हो। उपरोक्त बिन्दु 1 से 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कार्याकलापों में भाग लेने से पूर्व सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत कर देना होगा। अस्वस्थता के आधार पर छूट हेतु चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रार्थना पत्र समय से प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के तुरन्त बाद प्रस्तुत करना होगा।

6. छात्रों के विकासोन्मुखी पाठ्य—सहगामी क्रिया—कलाप –

- 1. शारीरिक शिक्षा (गेम्स एवं स्पोर्ट्स) –** महाविद्यालय में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ—साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जिससे समस्त छात्र/छात्राओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रविधान है। प्रतिवर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय क्रीड़ा कलेण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम घोषित करता है। विभिन्न टीमों में खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जिसमें प्रातः एवं सायं खेल के मैदान में आना आवश्यक है। खेलों में प्रवीणता हासिल करने के लिए कोविंग कैम्पों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षित टीम ही विश्वविद्यालयी खेलों में भाग लेती है। महाविद्यालय खिलाड़ियों को खेल की सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करता है जैसे—सम्पूर्ण खेल किट, शूज, स्पाइक आदि। विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों में चयनित खिलाड़ियों को ट्रेकसूट प्रदान किये जाते हैं। अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।
- 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) –** इसके अन्तर्गत छात्र—छात्राओं को अद्वैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक कम्पनी स्थीकृत है। सत्र 2004–2005 में एन.सी.सी. की इसी कम्पनी में महिला कैडेट्स की भर्ती हो चुकी है। एन.सी.सी. विभिन्न प्रमाण पत्र धारकों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान तथा सैन्य अकादमी में चयन हेतु शिथिलता/वरीयता प्रदान की जाती है एवं एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र धारक हेतु इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध रहता है। एन.सी.सी. का 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र कोर्स क्रमशः 01 व 02 वर्ष के हैं। अतएव स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तक के विद्यार्थी NCC में भर्ती होने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- 3. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) –** इसके अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे श्रमदान, पर्यावरण सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.एस.एस. की 03 (एक छात्र एवं दो छात्रा) इकाईयां कार्यरत हैं।
- 4. रोवर एवं रेजर्स –** सत्र 1990–1991 में महाविद्यालय में स्काउट गाइड कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु रोवर्स तथा रेजर्स दोनों की इकाईयों को गठन किया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्रायें इसका लाभ उठा सकते हैं। समय—समय पर 'प्रादेशिक समागम' का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाते हैं। प्रमाण पत्र धारकों को सेवायोजन तथा सामाजिक/साहसिक व्यवसायों में वरीयता/अधिमान दिया जाता है।

नोट—छात्र—छात्रा भलीभांति अवगत हों कि अस्वस्थता, क्रीड़ा प्रतियोगिता, एन.सी.सी. कैम्प—आर्मी एटैचमेंट तथा एन.एस.एस. कैम्प आदि में भाग लेने के कारण उपस्थिति में मात्र 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। अतः छात्र—छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे उतने ही क्रियाकलापों में भागी हो जिससे उपस्थिति 10 प्रतिशत की छूट सहित 75 प्रतिशत बनी रहे।

5. मानव संसाधन मंत्रालय एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा **स्वच्छ भारत समर इन्टरनशियर 2018** प्रारम्भ किया गया है। इसमें सभी छात्र एवं छात्राओं को प्रतिभाग करना है। अतः सभी छात्र एवं छात्राएँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बेबसाइट <http://sbsi.mygov.in> पर अपना पंजीकरण कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
6. **सांस्कृतिक परिषद्** – महाविद्यालय के छात्र—छात्राओं में छुपी साहित्यिक/सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं महाविद्यालय तथा अन्य उच्चस्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में महाविद्यालयों के छात्र—छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जायेगा।
7. **विभागीय परिषदें** – प्रत्येक विभाग के विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त छात्र/छात्रायें परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्वाधान में निबन्ध एवं वाद—विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी क्रिया कलाप संचालित किये जाते हैं।
8. **महाविद्यालय पत्रिका** – पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को चाहिए कि आमंत्रित किये जाने पर वे अपनी रचनाएं पत्रिका सम्पादकों को सौंप दें साथ ही सम्पादकों से रचना लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्ग दर्शन भी प्राप्त करें। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों को छात्र सम्पादक भी चुना जाता है।
9. **छात्र संघ** – महाविद्यालय में समस्त संस्थागत छात्र—छात्राओं द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव निर्धारित तिथि पर किया जाता है। छात्रसंघ द्वारा छात्र हित में महाविद्यालय को सहयोग प्रदान करते हेतु प्रतिवर्ष एक छात्रसंघ समारोह आयोजित किया जाता है। छात्रसंघ पदाधिकारी यदि वर्ष के द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर में किन्हीं भी कारणों से प्रवेश हेतु योग्य नहीं है, तो उसकी पदधारिता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
10. **केन्द्रीय पुस्तकालय** – महाविद्यालय में 80,000 के लगभग पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ ग्रन्थों एवं शोध जनरल्स से सुसज्जित पुस्तकालय है। जिसके छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु विज्ञान खण्ड एवं वाणिज्य कला खण्ड में विभाजित किया गया है। सत्र 2003–2004 से परास्नातक स्तर पर विभागीय पुस्तकालय की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। सम्प्रति भौतिक

विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान में यह सुविधा उपलब्ध है। छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु सम्प्रति पुस्तकालय का विज्ञान खण्ड विज्ञान संकाय परिसर में स्थित है। महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्यदिवस को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुला रहता है। छात्रों को 10:30 बजे से 02 बजे अपराह्न तक पुस्तक निर्गत की जाती हैं। पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी को स्वयं अपना पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पत्रक सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। यदि पत्रक खो जाता है तो सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा इसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए। सम्बन्धित विषय में पुस्तकों की उपलब्धता तथा छात्र संख्या के आधार पर छात्र-छात्राओं को 2 से 4 तक पुस्तकें निर्गत की जाती है। पुस्तकालय द्वारा मांग जाने पर विद्यार्थी को पुस्तकें तत्काल वापस करनी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जायें, गन्दी हो जाय या किसी भांति नष्ट हो जाय तो उस दशा में विद्यार्थी को पुस्तक का 20% अधिक मूल्य जमा करना होगा। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होगी। विद्यार्थियों को केवल उनके विषयों एवं कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जाती है। पुस्तकें वापस न करने पर महाविद्यालय कानूनी कार्यवाही के लिए विवश होगा।

11. **वाचनालय (रीडिंग रूम)** – छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तक पत्रिकायें व अन्यान्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
12. **छात्र कल्याण-शुल्क मुक्ति** – निर्धन एवं मेधावी छात्रों को नियमानुसार शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रहेगी जबकि छात्र की प्रगति निरन्तर सन्तोषप्रद, अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थित कम से कम 75 प्रतिशत हो। प्राचार्य को किसी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।
13. **छात्रवृत्तियां एवं अनुदान** – महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर छात्रवृत्तियां एवं अनुदान प्रदान किये जाते हैं। छात्रवृत्तियों/अनुदानों हेतु अर्हता, आवेदन पत्र प्राप्ति, जमा करने की तिथि आदि छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली कतिपय छात्रवृत्तियां निम्नवत् हैं।
 1. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
 2. निर्धन अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति

3. प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (Inspire Scholarship)
4. दिव्यांग छात्रवृत्ति
5. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्र कल्याण निधि से वित्तीय सहायता
6. **रेलयात्रा सुविधा** – महाविद्यालय में नियमित छात्र-छात्राओं को रेल किराये में छूट नियमानुसार रेल विभाग द्वारा दी जाती है। छूट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने प्रस्थान के दिन कम से कम 30 दिन पूर्व आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रभारी को दे देना चाहिए। रेल यात्रा छूट के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। यह छूट
 - (क) परिवर्तनीय नहीं होगी अर्थात् सुविधा आवेदक छात्र/छात्रा को ही प्राप्त होगी।
 - (ख) दीर्घकालीन अवकाश में ऋषिकेश से स्थाई निवास एवं स्थाई निवास से ऋषिकेश आने तक दी जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालयों के शैक्षिक परिषद् संघ द्वारा आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलकूद के लिए यात्रा हेतु दी जाएगी।
 - (ग) शैक्षणिक भ्रमण अथवा ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर भ्रमण के लिए यात्रा हेतु दी जायेगी।
 - (घ) किसी भी आपातकालीन सेवाओं में यात्रा हेतु दी जायेगी।
7. **अनुशासन सम्बन्धी नियम** – शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल के संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय में एक-एक उप मुख्य शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय में समस्त प्रध्यापक पदेन शास्ता मण्डल के सदस्य होते हैं शास्ता मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें। ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :

1. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर व्यक्त करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।

5. ऐसा कोई भी कार्य जिसमें शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध :

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. छात्राओं को जीन्स एवं टॉप पहनकर तथा छात्रों को कमीज (शर्ट) का बटन खोलकर महाविद्यालय परिसर में आना निषेध है।
5. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
6. कक्षाओं में च्युंगम पान मसाला, मोर्बाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
7. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना।
8. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्ड एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम –

1. प्रत्येक छात्र-छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है। जिसे वे प्रतिदिन महाविद्यालय में अपने साथ लेकर आयेंगे। अगर जांच के दौरान परिचय पत्र नहीं पाया गया तो वह महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित होगा। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
परिचय पत्र परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है। परिचय पत्र के खो जाने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

3. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्त्र मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है। उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय परिसर में हड्डताल करने अथवा किसी भी हड्डताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
5. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

रैगिंग—एक कानूनन अपराध :-

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्था एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करे।

रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किये हैं। इसके तहत रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही और ढाई लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की जा सकती है—(1) संस्थान से निलम्बन एवं निष्कासन, (2) प्रवेश निरस्त किया जाना, (3) शैक्षिक सुविधाओं का वापस लिया जाना, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) किसी समय विशेष के लिए किसी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना, (6) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

रैगिंग का तात्पर्य है कि लिखकर, बोलकर, हाव—भाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी छात्र—छात्रा को कष्ट पहुंचाना, भौतिक रूप से प्रताड़ित करना, नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ छात्र—छात्राओं को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक कलेश पहुंचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में भी नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हों दुःखी होते हो और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना उक्त सभी कृत्य रैगिंग के अन्तर्गत माने गये हैं।

रैगिंग जैसे दृष्टकृत्य में स्वयं लिप्त न रहने तथा प्रेरित करने से विरत रहने हेतु प्रवेशार्थी एवं उनके संरक्षक को संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षरित कर प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

पुरुष छात्रावास
छात्रावास प्रवेश नियमावली (2021–2022)

महाविद्यालय का पुरुष छात्रावास ऋषिकेश नगर के मुख्य बाजार में नीरज भवन होटल के समीप, रेलवे रोड पर स्थित है, जिसकी महाविद्यालय से दूरी लगभग 2.5 किमी है। पुरुष छात्रावास में छात्रों के रहने/ठहरने हेतु स्वच्छ एवं हवादार कमरे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं जैसे वाई-फाई की सुविधा, कॉमन रूम, टेलीविजन, डाइर्निंग हॉल, रसोईघर, बैडमिण्टन कोर्ट, पार्किंग, शुद्ध एवं ठण्डा पेयजल इत्यादि की व्यवस्था है। महाविद्यालय छात्रावास की अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता 126 छात्रों की है।

1. महाविद्यालय के पूर्णकालिक छात्र ही छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
2. दूरस्थ एवं निर्धन छात्रों को छात्रावास प्रवेश में वरीयता दी जायेगी। दूरी अथवा अन्य बातें समान होने पर पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा।
3. छात्रावास में प्रवेश केवल एक शिक्षण सत्र के लिए मान्य होगा। प्रत्येक शिक्षण सत्र के प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना होगा। पुनः प्रवेश गतवर्ष के आचरण व परीक्षाफल पर आधारित होगा तथा पुनः प्रवेश आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
4. सामान्यतः छात्रावास में 90 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्डवासियों के लिए आरक्षित हैं।
5. अन्य राज्यों के छात्रों को पुलिस जांच प्रमाण पत्र से संतुष्ट होने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।
7. अनुचित साधन में पकड़े गए तथा अनुशासहीनता के आरोपी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. प्रवेश के सम्बन्ध में छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
9. छात्रावास के प्रवेश हेतु आरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार होगा।
10. किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को छात्रावास में किसी भी कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं होगी।

छात्रावास प्रवेश शुल्क एवं अन्य देयक

प्रवेश शुल्क एवं समस्त देयकों को एक बार में जमा करना होगा।

1. आवेदन पत्र शुल्क	₹0	50.00
2. वार्षिक किराया	₹0	2500.00
3. वार्षिक रख-रखाव	₹0	2000.00
4. बिजली पानी अग्रिम	₹0	3000.00

योग ₹.7550.00

बिजली-पानी की दरों में वृद्धि या अधिक व्यय होने की दशा में इस मद में वृद्धि की जा सकती है।

छात्रावासियों के लिए सामान्य नियम व निर्देश

1. छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि में उपस्थिति ली जाएगी। अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्रावासी अनुपस्थित नहीं रह सकता है।
2. छात्रावास से घर या अन्यत्र जाने की लिखित सूचना अधीक्षक को अवश्य देनी होगी। छात्रावासी प्रस्थान—आगमन पंजिका में प्रविष्टि करने के उपरान्त ही छात्रावास (12 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए) छोड़ेगा।
3. छात्रावास में बाहरी व्यक्ति (भले ही वह महाविद्यालय का छात्र हो) का प्रवेश वर्जित है।
4. यदि कोई छात्रावासी रात्रि में छात्रावास में नहीं लौट रहा हो तो इसकी पूर्व सूचना भी वह अधीक्षक को देगा।
5. छात्रावासी के कक्ष में कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा।
6. छात्रावासी अपने सामान की स्वयं देखभाल करेगा एवं स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सभी छात्रावासी किसी बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्ति के छात्रावास में प्रवेश पर निगरानी कर सामूहिक दायित्व का निर्वाह करेंगे।
8. छात्रावासियों को सामान्यतः 10 बजे रात्रि तक छात्रावास में उपस्थित हो जाना होगा। यदि किसी कारणवश विलम्ब होना हो तो पूर्व सूचना अधीक्षक अथवा अनुदेशक को देनी पड़ेगी।
9. छात्रावास कक्ष के खिड़की के शीशे, फर्नीचर, पंखे, लाइट आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी कक्षों में रहने वाले सभी छात्रावासियों की होगी तथा नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को सामूहिक रूप से करनी होगी।
10. किसी भी विद्युत उपकरण का अनाधिकृत उपयोग एवं विद्युत लाइन से छेड़—छाड़ वर्जित है इसका पालन न करने पर छात्रावासी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। विद्युत हीटर, प्रेस आदि का प्रयोग वर्जित है।
11. छात्रावासी, छात्रावास में किसी भी प्रकार के हथियार, मादक वस्तुओं या अन्य अवैध सामग्री न तो रखेंगे न ही उसका प्रयोग करेंगे।
12. छात्रावासी किसी प्रकार के शोर या ध्वनि प्रदूषण यन्त्रों से अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा नहीं डालेंगे।
13. छात्रकक्षों में भोजन नाश्ता, चाय आदि बनाने की अनुमति नहीं है। इस कार्य के लिए छात्रावासी रसोई घर का प्रयोग करेंगे।
14. छात्रावास कक्षों, स्नानगृहों, शौचालय, छात्रावास की दीवारों, फर्श, परिसर आदि की स्वच्छता बनाए रखना सभी छात्रावासियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है।
15. आगन्तुकों/अभिभावकों से छात्रावासी आगन्तुक कक्ष/कॉमन रूप में ही मिल सकेंगे।
16. छात्रावास कक्षों तथा परिसर में कोई भी सभा या बैठक करना पोस्टर लगाना वर्जित है।
17. छात्रावासी अपनी समस्याओं से सीधे अधीक्षक या उपाधीक्षक को अवगत कराएंगे।

18. मुख्य परीक्षा समाप्ति पर छात्रावासी को दो दिन के अन्दर छात्रावास कक्ष खाली कर देना होगा जिससे ग्रीष्मावस्था में कक्ष का रख-रखाव ठीक किया जा सके।
19. छात्रावासी सीधे छात्रावास अधीक्षक के नियन्त्रण में रहेगा। आज्ञा पालन न करें, बार-बार अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने व समय-सारिणी का पालन न करने वाले छात्रावासियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है तथा बीच सत्र में भी छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है।
20. छात्रावास में रैगिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित है तथा दण्डनीय अपराध है। यदि कोई भी छात्रावासी रैगिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संलिप्त पाया जाता है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देता है तो उसके विरुद्ध दण्डनीय कार्रवाई किये जाने के साथ-साथ महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।
21. छात्रावास एवं छात्रावासी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार छात्रावास अधीक्षक एवं प्राचार्य का है।
22. छात्रावासी, छात्रावास के संचालन हेतु नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सलाह एवं निर्देश/आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
23. आते-जाते समय छात्रावासी गेट स्वतः बन्द करके जायेंगे।
24. कॉमन रूम रात्रि दस बजे बन्द कर दिया जायेगा।
25. आबंटित कमरे का परिवर्तन नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में कमरा परिवर्तनीय होगा।
26. जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत छात्रावास के छत पर जाना प्रतिबन्धित है।
27. कोई भी छात्रावासी छात्रावास में लगे जल आपूर्ति पाइप लाइन, बल्ब, विद्युत तार इत्यादि से छेड़-छाड़ नहीं करेगा।
28. कोई भी छात्रावासी रात्रि में छात्रावास के चार दिवारी या गेट लांघकर न तो वह छात्रावास से बाहर जायेगा न तो अन्दर आयेगा, बल्कि वह छात्रावास अनुसेवक को आकस्मिक कार्य का विवरण देते हुए मुख्य द्वार/गेट का ताला खोलवाकर ही बाहर जायेगा अथवा अन्दर आयेगा।
29. विद्युत बचत व संरक्षण हेतु प्रत्येक छात्रावासी अपने कक्ष में स्वयं के व्यय पर प्रकाश हेतु सी. एफ.एल. अथवा एल.ई.डी. का प्रयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से पंखें एवं गीजर नहीं चलायेगा। विद्युत संरक्षण छात्रावासियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा।
30. छात्रावासी जल बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि इसके संरक्षण में योगदान करेंगे।
31. छात्रावासी का अभिभावक/रिश्तेदार/परिचित या कोई भी व्यक्ति रात्रि में ठहराव करता है तो उसे 100 रूपये प्रति रात्री के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।
32. छात्रावास का कोई पूर्व छात्र रात्री ठहराव करता है या प्रतिमाह के हिसाब से रहना चाहता है तो उसे 100 रूपये प्रति रात्री के हिसाब से भुगतान करना होगा।
33. छात्रावास में स्थित महाविद्यालय के गेस्ट हाउस का किराया 400 रूपये प्रतिदिन की दर से देय होगा।
34. छात्रावास में लड़कियों एवं महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की विषयवार सूची

प्रो० पंकज पंत –प्राचार्य एवं संरक्षक

क्र०	नाम	पद नाम	क्र०	नाम	पद नाम
	रसायन विज्ञान विभाग			भूगोल विभाग	
1	डॉ० हितेन्द्र सिंह (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर	46	डॉ० वेद प्रकाश (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर
2	डॉ० विभा कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	47	डॉ० शरद त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ० सुरेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	48	डॉ० किरण त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	डॉ० सकुंज राजपूत	असिस्टेंट प्रोफेसर	49		
5	डॉ० किरन डोभाल जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर		हिन्दी विभाग	
6	डॉ० दयाधर दीक्षित	असिस्टेंट प्रोफेसर	50	डॉ० अल्पना जोशी	प्रोफेसर
7	डॉ० पूरन सिंह खाती	असिस्टेंट प्रोफेसर	51	डॉ० मुक्ति नाथ यादव (विभागाध्यक्ष)	प्रोफेसर
8	डॉ० रूची बडोनी सेमवाल	गेस्ट फैकल्टी	52	श्री नरेश लाल	गेस्ट फैकल्टी
	वनस्पति विज्ञान विभाग			राजनीति शास्त्र विभाग	
9	डॉ० सुषमा गुप्ता (विभागाध्यक्ष)	प्रोफेसर	53	डॉ० निरंजना शर्मा (अन्यत्र सम्बद्ध)	एसोसिएट प्रोफेसर
10	डॉ० गुलशन कुमार ढींगरा	प्रोफेसर	54	कनिका बडवाल	गेस्ट फैकल्टी
11	डॉ० पूजा कुकरेती	एसोसिएट प्रोफेसर	55	कुमु अमिता	गेस्ट फैकल्टी
12	डॉ० इन्दु तिवारी	एसोसिएट प्रोफेसर		शिक्षा शास्त्र विभाग	
13	डॉ० अनिल कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	56	(रिक्त)	
14	डॉ० प्रेम सिंह चौहान	संविदा शिक्षक		इतिहास विभाग	
15			57	डॉ० रुबी तबस्सुम (विभागाध्यक्ष)	असिस्टेंट प्रोफेसर
	भौतिक विज्ञान विभाग		58	डॉ० अनिल सिंह बहेड़ा	गेस्ट फैकल्टी
16	डॉ० हेमन्त सिंह परमार (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर		संस्कृत विभाग	
17	डॉ० विजेन्द्र लिंगवाल	एसोसिएट प्रोफेसर	59	डॉ० पूनम पाठक (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर
18	डॉ० मृत्युञ्जय शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर		गृहविज्ञान विभाग	
19	डॉ० आराधना भण्डारी	गेस्ट फैकल्टी	60	डॉ० प्रीतम कुमारी (विभागाध्यक्ष)	असिस्टेंट प्रोफेसर
20	डॉ० हरिकृष्ण सेमवाल	संविदा शिक्षक		संगीत विभाग	
21			61	डॉ० कलिका काले (विभागाध्यक्ष)	असिस्टेंट प्रोफेसर
	जन्तु विज्ञान विभाग			समाजशास्त्र विभाग	
22	डॉ० राकेश कुमार (विभागाध्यक्ष)	प्रोफेसर	62	डॉ० स्नेहलता (विभागाध्यक्ष)	असिस्टेंट प्रोफेसर
23	डॉ० देवमणि त्रिपाठी	एसोसिएट प्रोफेसर	63	डॉ० सीमा पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर
24	डॉ० अखिलेश कुकरेती	एसोसिएट प्रोफेसर		अंग्रेजी विभाग	
25	डॉ० त्रिभुवन चन्द	असिस्टेंट प्रोफेसर	64	डॉ० सतेन्द्र कुमार (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर
26	डॉ० ऋतु कश्यप	असिस्टेंट प्रोफेसर	65	डॉ० अंजु भट्ट (सम्बद्ध)	एसोसिएट प्रोफेसर
27	डॉ० स्मिता बसेरा	असिस्टेंट प्रोफेसर	66	बीना खाती	गेस्ट फैकल्टी

28	उमा पैन्यूली	गेस्ट फैकल्टी		अर्थशास्त्र विभाग	
	गणित विभाग		67	डॉ० गिरीश चन्द्र वेंजवाल (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर
29	डॉ० सविता वर्मा (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर	68	डॉ० राकेश भट्ट	असिस्टेंट प्रोफेसर
30	डॉ० प्रीत पाल सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	69	डॉ० पूनम धरमाना (सम्बद्ध)	गेस्ट फैकल्टी
31	डॉ० सुजाता	असिस्टेंट प्रोफेसर		शारीरिक शिक्षा विभाग	
32	श्वेता पाण्डेर्य	गेस्ट फैकल्टी	70	डॉ० पूनम रावत (विभागाध्यक्ष)	असिस्टेंट प्रोफेसर
	भूगर्भ विज्ञान		71	डॉ० वन्दना शर्मा (सम्बद्ध)	एसो० प्रो० भूगोल
33	डॉ० कामिनी पुरोहित जोशी	गेस्ट फैकल्टी	72	डॉ० सीमा (सम्बद्ध)	असि० प्रो० रसायन
34	रिक्त		73	सुश्री पायल अरोड़ा (सम्बद्ध)	असि० प्रो० (वाणिज्य)
35	रिक्त		74	डॉ० प्रेम सिंह चौहान (सम्बद्ध)	गेस्ट फैकल्टी वन०विं०
	वाणिज्य विभाग		75	डॉ० वी०एन० गुप्ता(सम्बद्ध)	एसो० प्रो० वाणिज्य
36	डॉ० भरत सिंह (विभागाध्यक्ष)	एसोसिएट प्रोफेसर		डॉ० वी० के० गुप्ता(सम्बद्ध)	एसो० प्रो० वाणिज्य
37	डॉ० सतीश चन्द्र पंत	एसोसिएट प्रोफेसर			
38	डॉ० चतर सिंह नेगी	एसोसिएट प्रोफेसर			
39	डॉ० अजय प्रसाद उनियाल	एसोसिएट प्रोफेसर			
40	रश्मि नौटियाल	गेस्ट फैकल्टी			
41	मनीषा संगवान	गेस्ट फैकल्टी			
42	ऋषभ सिंह तोमर	गेस्ट फैकल्टी			
43					
44					
45					

महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र० सं०	नाम	पद नाम	क्र० सं०	नाम	पद नाम
	कार्यालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी		28	श्रीमती यशोदा देवी	प्रयो० सहायक
1	श्री रघुवीर लाल पोखरियाल (अन्यत्र सम्बद्ध)	मु०प्र० अधिकारी	29	श्रीमती भागेश्वरी	संविदा
2	श्री सुधीर नेगी (सम्बद्ध)	मु०प्र० अधिकारी		प्रयोगशाला अनुसेवक	
3	श्री विपेन्द्र नारायण कोटियाल	प्र० अधिकारी	30	श्री दाता राम	अनुसेवक
4	श्रीमती शकुन्तला शर्मा	प्रधान सहायक	31	श्री सुधीर कुमार रावत	अनुसेवक
5	श्री अमित कुमार	वैयक्तिक सहायक	32	श्री लाल बहादुर	अनुसेवक
6	श्री बलवन्त सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	33	श्री कन्हैयाराम	अनुसेवक
7	श्रीमती गुंजन रावत नेगी	कनिष्ठ सहायक	34	श्री सतीश चन्द्र	अनुसेवक
	कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		35	श्री प्रताप सिंह राणा	अनुसेवक
8	श्री ओमप्रकाश		36	श्रीमती विमला डोभाल	अनुसेविका
9	श्री अशोक कुमार		37	श्रीमती राजेश्वरी	अनुसेविका
10	श्री टीकाराम चमोली	सफाईकार	38	श्री सत्यपाल सिंह	अनुसेवक
11	श्री रविन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	39	श्री शमशेर सिंह चौहान	अनु० (पी०आर०डी०)
12	श्री रमेश सिंह पुण्डीर	अनुसेवक	40	श्रीमती प्रियंका	अनु० (पी०आर०डी०)
13	श्री अनुप सिंह नेगी	अनुसेवक	41	श्रीमती रमा विष्ट	अनु० (पी०आर०डी०)
14	पुस्तकालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी	अनुसेवक (उपनल)	42	श्री सुनील कुमार	अनु० (पी०आर०डी०)
15	श्रीमती मंजू चौहान (सम्बद्ध)	अनुसेवक (उपनल)	43	श्री कल्याण सिंह (सम्बद्ध)	(अनु०) उपनल
	श्री दीपक सिंह चौहान		44	श्री अनूप	
16	पुस्तकालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		45	श्री कुलदीप	
17	श्री अक्षय कुमार राही (सम्बद्ध)	अनुसेवक (उपनल)			
	श्री संजीव कुमार	अनुसेवक (उपनल)			
	प्रयोगशाला सहायक				
18	श्री हर्षदेव				
19	श्री महिपाल सिंह (सम्बद्ध)				
20	श्री दीपक लाल				
21	श्री गणेश कंसवाल	प्रयो० सहायक			
22	कु० स्वाति	प्रयो०सहायक			
23	श्रीमती मुन्नी देवी	प्रयो०सहायक			
24	कु०अलका रानी	प्रयो०सहायक			
25	श्रीमती मंजू मेहता	प्रयो०सहायक			
26	श्री०भुवनचंद डिमरी	प्रयो०सहायक			
27	श्री० प्रशांत कुमार	प्रयो०सहायक			

कुल गीत

रैम्य ऋषि की तपोभूमि यह, देवभूमि का आगन प्यारा ।

जाहनवी की तरल भूमि में, बड़े ज्ञान की धारा ।

यहाँ सभी के स्वप्न हैं पलते, अनगढ़ पत्थर आकार में ढलते ।

शिवि, कर्ण सम पंडित मोहन ने, स्वप्न संजोया था इक प्यारा ।

दिया दान उर-खोल खजाना, मिटा अशिक्षा का अंधियारा ।

स्वप्न फलित हो दानवीर के, रहे सदा संकल्प हमारा ।

पावन ज्ञान निकेतन न्यारा ।

देवभूमि हर अंकुर को ज्ञानामृत में सिंचित करता ।

हिमपुत्रों में ज्ञानपिपासा अनुदिन अविरल जाग्रत करता ।

जीवन के हर पल में प्रतिफल सतरणी आभा को भरता ।

पावन ज्ञान निकेतन न्यारा ।

विद्याघट अमृत बन छलके, सदा एक ही नारा ।

ज्ञान एकता औ अनुशासन में सत्य संकल्प हमारा ।

उड़े पराग जब ज्ञान सुमन से, सुरभित हो दिव्यमण्डल सारा ।

पावन ज्ञान निकेतन न्यारा ।

संस्कारों का संवर्द्धन संरक्षण विज्ञान कला का ।

गुरु जन के निर्देशन में फहरायें ज्ञान पताका ।

सुरसरि के पावन कूलों में मिले प्रेम की धारा ।

पावन ज्ञान निकेतन न्यारा ।

आओ साथी इस आंगन में ज्ञान ज्योति जगमग कर जाये ।

देवभूमि के जन गण मन के सारे स्वप्न फलित हो जाये ।

समरसता की सुरम्य संस्कृति में मिले विश्व की धारा ।

पावन ज्ञान निकेतन न्यारा ।